खाता खोलने के लिए वैध केवाईसी दस्तावेज़ या समान ई-दस्तावेज़ की सूची

ए) व्यक्तिगत (नोट: एनआरआई/ओसीआई/पीआईओ/विदेशी नागरिकों सहित सभी श्रेणी के व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पैन या फॉर्म 60 जमा करना आवश्यक है)		
1	**व्यक्तिगत खाते के लिए आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़ (ओवीडी)।**	➢ पासपोर्ट ➢ फोटो सहित ड्राइविंग लाइसेंस ➢ आधार नंबर होने का प्रमाण ➢ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र ➢ नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड जो राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो। ➢ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण हो
2	**यदि ओवीडी में अद्यतन/ वर्तमान पता शामिल नहीं है तो आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ माना जाएगा। (कम से कम एक दस्तावेज़)**	➢ किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल अर्थात् बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप्ड गैस, पानी का बिल (दो महीने से अधिक पुराना नहीं) ➢ संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद; ➢ सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किए गए पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता शामिल है; ➢ राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास आबंटन संबंधी पत्र। इसी प्रकार, आधिकारिक आवास आबंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ किराया समझौते; **नोट**: यदि शाखा वर्तमान पते के प्रमाण के लिए डीम्ड ओवीडी प्राप्त कर रही है, तो ग्राहक को -3 महीने के भीतर वर्तमान पते के लिए ओवीडी जमा करना होगा।
3	**संयुक्त खाता धारकों के लिए**	उपरोक्त उल्लिखित अनुसार, प्रत्येक संयुक्त खाताधारक का अलग–अलग आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़।
4	**विदेशी छात्रों के मामले में**	➢ पासपोर्ट की प्रतिलिपि और वीज़ा की प्रतिलिपि। ➢ कॉलेज/संस्थान द्वारा जारी किया गया एक पहचान पत्र। ➢ पाठ्यक्रम के लिए एक प्रवेश पत्र जिसमें उस पाठ्यक्रम की अवधि का उल्लेख हो जिसके लिए उसे संस्थान/कॉलेज द्वारा प्रवेश दिया गया है। ➢ छात्रावास की सुविधा के आबंटन के लिए संस्थान/कॉलेज के लेटर हेड पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आबंटन पत्र, जिसमें छात्रावास, कमरा नंबर का विस्तृत पता और स्थान का उल्लेख हो आदि और छात्रावास की सुविधा आदि के आबंटन की तारीख या खाता खोलने के 30 दिनों के भीतर लीज/किराया समझौते के रूप में स्थानीय पता देने वाला एक वैध पता प्रमाण।

<table>
<tr>
<td>5</td>
<td>अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए</td>
<td rowspan="2">वर्तमान पते के लिए आधिकारिक वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) (कोई एक)
i. पासपोर्ट
ii. ड्राइविंग लाइसेंस
iii. आधार नंबर होने का प्रमाण
iv. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
v. राज्य सरकार के एक अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड
vi. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण हो।
उपरोक्त के अलावा, विदेशी पता को प्रमाणित करने वाले निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने चाहिए;
विदेशी पते का प्रमाण (कोई एक)
i. पासपोर्ट
ii. ड्राइविंग लाइसेंस
iii. सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय आईडी जिसमें निवास के देश का पता हो
iv. उपयोगिता बिल (बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल) - 2 महीने से अधिक पुराना न हो।
v. पंजीकृत किराएदारी/किराया/पट्टा समझौता
vi. संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद
vii. राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या विनियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास आबंटन पत्र और आधिकारिक आवास आबंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ किराया समझौते;
viii. मूल विदेशी पते वाला नवीनतम विदेशी बैंक खाता विवरण - 2 महीने से अधिक पुराना न हो।
ix. विदेशी पते की पुष्टि करने वाला नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
x. उपरोक्त बिंदु i) से ix) के अनुसार करीबी रिश्तेदार के पते का प्रमाण (पति/पत्नी, पिता, माता, बहन, भाई और बच्चा) जिसके साथ एनआरआई रह रहा है, साथ में रिश्ते का प्रमाण (पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, जन्म का प्रमाण पत्र) के साथ ग्राहक के रिश्तेदार की घोषणा भी होना चाहिए।
xi. विदेशी कॉलेज/विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र/प्रमाणपत्र/आईडी।
यदि ओसीआई/पीआईओ द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में पते का विवरण नहीं है, तो ऐसे मामलों में भारत में विदेशी दूतावास/मिशन द्वारा जारी पत्र या विदेशी पते वाले</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>पीआईओ/ ओसीआई के लिए</td>
</tr>
</table>

		ओसीआई/पीआईओ कार्ड को ओवीडी के साथ स्वीकार किया जा सकता है। एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त दस्तावेजों की अतिरिक्त प्रति प्रदान की जाए।	
7	**विदेशी नागरिकों/ पर्यटकों के लिए**	➢ वैध पासपोर्ट ➢ वैध भारतीय वीज़ा	**(i) विदेशी पते का प्रमाण (कोई भी एक)** ➢ पासपोर्ट ➢ ड्राइविंग लाइसेंस ➢ विदेशी अधिकार क्षेत्र के सरकारी विभाग द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ यानी राष्ट्रीय पहचान पत्र, ग्रीन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा कार्ड आदि जिसमें आवेदक का नाम और विदेशी पता हो (यदि ओवीडी में विदेशी पते का विवरण नहीं है) **(ii) वर्तमान पते का प्रमाण (कोई भी एक)** ➢ ओवीडी या डीम्ड ओवीडी (उपरोक्त बिंदु संख्या 1 और 2 के अनुसार) ➢ भारत में विदेशी दूतावासों या मिशन द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और वर्तमान पता हो। ➢ एफआरआरओ प्रमाणपत्र जिसमें नाम और वर्तमान पता हो।

ख) गैर-व्यक्तिगत		
1	**कंपनियों के खाते**	➢ निगमन का प्रमाण पत्र ➢ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ➢ कंपनी का पैन नंबर ➢ निदेशक मंडल का संकल्प और उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए उसके प्रबंधकों, अधिकारियों और या कर्मचारियों को दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी; ➢ वरिष्ठ प्रबंधन पद धारण करने वाले प्रासंगिक व्यक्तियों के नाम ➢ पंजीकृत कार्यालय और इसके व्यवसाय का मुख्य स्थान, यदि यह अलग है; और ➢ लाभकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों और या कर्मचारियों और उसकी ओर से लेन-देन के लिए मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्तियों के संबंध में उसकी फोटो के साथ कोई भी ओवीडी और पैन/फॉर्म 60

2	**एकल स्वामित्व वाली फर्मों के खाते**	**(निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज़ उपलब्ध कराए जाएं)** ➢ सरकार द्वारा जारी उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी) सहित पंजीकरण प्रमाणपत्र। ➢ दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ लाइसेंस। ➢ बिक्री एवं आयकर रिटर्न। ➢ सीएसटी/ वैट/ जीएसटी प्रमाण पत्र। ➢ बिक्री कर/ सेवा कर/ व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ पंजीकरण दस्तावेज़। ➢ डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान को जारी आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) या किसी क़ानून के तहत निगमित किसी पेशेवर निकाय द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम पर जारी लाइसेंस/ प्रैक्टिस प्रमाण पत्र। ➢ एकल स्वामी के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (केवल पावती नहीं) जिसमें फर्म की आय प्रतिबिंबित हो, आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित/ पावती ही गई हो। ➢ उपयोगिता बिल जैसे बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल दो माह से अधिक पुराने न हों। **और** ➢ स्वामी का कोई एक ओवीडी और पैन/ फॉर्म 60।
3	**भागीदारी फर्मों के खाते (पंजीकृत)**	➢ पंजीकरण प्रमाण पत्र, ➢ भागीदारी विलेख; और ➢ फर्म का पैन नंबर, ➢ सभी भागीदारों के नाम ➢ पंजीकृत कार्यालय का पता और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान, यदि वह भिन्न हो; और ➢ लाभकारी मालिक (बीओ), प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के संबंध में ओवीडी और पैन/ फॉर्म 60 में से कोई भी, जो अपनी फोटो के साथ अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए एक मुख्तारनामा रखता है।
4	**न्यास एवं प्रतिष्ठान के खाते**	➢ पंजीकरण प्रमाणपत्र ➢ न्यास डीड; ➢ निदेशक मंडल के न्यासियों का संकल्प ➢ पैन/ न्यास का फॉर्म 60 ➢ आयकर अधिनियम की धारा 12एबी के तहत पंजीकरण, यदि लागू हो। ➢ लाभार्थियों, न्यासियों, सेटलर, संरक्षक, यदि कोई हो और न्यास के न्यासकर्ता के नाम ➢ न्यास के पंजीकृत कार्यालय का पता ➢ न्यासियों और दस्तावेजों की सूची अर्थात न्यासी के रूप में भूमिका निभाने वाले और ट्रस्ट की ओर से लेनदेन करने के लिए अधिकृत लोगों के लिए कोई एक ओवीडी और पैन/फॉर्म 60।

		➢ न्यासी के रूप में भूमिका निभाने वाले और न्यास की ओर से लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत के लिए न्यासियों और दस्तावेजों की सूची, जैसे कोई एक ओवीडी और पैन/फॉर्म 60। ➢ लाभकारी स्वामी, न्यासी, मधयस्थतकर्ता, लाभार्थियों और मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्तियों, संस्थापकों/ प्रबंधकों निदेशकों/ हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनकी फोटो के साथ कोई भी ओवीडी और पैन/फॉर्म 60
5	**अनिगमित संघों (अपंजीकृत ट्रस्ट/ भागीदारी फर्म सहित) या व्यक्तियों के निकाय (सोसाइटी/ क्लब/ एसएचजी सहित) के खाते**	➢ ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंध निकाय का संकल्प; ➢ पैन/फॉर्म 60 ➢ उप विधि ➢ अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए प्रदत्त मुख्तारनामा; ➢ लाभकारी स्वामी, पदाधिकारी/ हस्ताक्षरकर्ताओं और उसकी ओर से लेन-देन के लिए मुख्तारनामा रखने वाले व्यक्तियों के संबंध में उसकी फोटो के साथ कोई भी ओवीडी और पैन/फॉर्म 60 ➢ ऐसे संगठनों या व्यक्तियों के निकाय के कानूनी अस्तित्व को सामूहिक रूप से स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की निम्नलिखित सूची में से कोई एक। i. भागीदारी विलेख/ ट्रस्ट विलेख (पंजीकृत भागीदारी एवं पंजीकृत ट्रस्ट के मामले में अनिवार्य) ii. दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत नगर निगम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र/ लाइसेंस, iii. बिक्री कर रिटर्न, iv. सीएसटी/ वैट/ जीएसटी प्रमाणपत्र (अनंतिम/ अंतिम) v. बिक्री कर/ सेवा कर/ व्यावसायिक कर प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ पंजीकरण दस्तावेज़। vi. डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा जारी आईईसी (आयातक निर्यातक कोड)/ किसी क़ानून के तहत निगमित किसी पेशेवर निकाय द्वारा संबंधितों के नाम पर जारी लाइसेंस/ प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र। vii. संबंधितों के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) जिससे आय के विवरण परिलक्षित होती है, आयकर विभाग में प्राधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित/ स्वीकृत। viii. राज्य/ केंद्र सरकार के विभागों द्वारा जारी कोई अन्य पंजीकरण प्रमाण पत्र। ix. संबंधितों के नाम पर उपयोगिता बिल जैसे बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल इत्यादि।

6	**हिंदू अविभाजित परिवार के खाते**	➢ एचयूएफ के नाम पर पैन कार्ड। ➢ कर्ता से घोषणा। ➢ कर्ता/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के कोई एक आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) और उनकी फोटो के साथ पैन/ फॉर्म 60 ➢ सभी सहदायिक एवं कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एचयूएफ पत्र/ घोषणा
7	**सरकार या उसके विभागों, सोसाइटी, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत आदि के खाते**	➢ सरकार या उसके विभागों, सोसाइटी, विश्वविद्यालयों और ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकायों की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शाने वाला दस्तावेज़; ➢ अपनी ओर से लेन-देन करने के लिए वकील रखने वाले व्यक्ति के संबंध में कोई आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) और पैन/फॉर्म 60 और ➢ बैंक खाता खोलने के लिए सरकारी विभाग के सक्षम प्राधिकारी से कार्यवाही/ पत्र जिसमें ऐसी इकाई/ न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए खाते का शीर्षक एवं परिचालन निर्देश शामिल हों। ➢ बचत बैंक खाता खोलने के मामले में सरकारी विभाग से प्राधिकृत पत्र, यदि लागू हो। ➢ सोसाइटी के मामले में नवीनतम सोसाइटी अधिनियम प्रमाणपत्र ➢ सोसाइटी/ ट्रस्ट के रजिस्ट्रार के पास दर्ज रिटर्न की प्रति
8	**राजनीतिक दलों का खाता**	➢ पार्टी के संविधान/ उपनियमों की विधिवत प्रमाणित प्रति ➢ निर्वाचन आयोग के साथ पार्टी के पंजीकरण की विधिवत प्रमाणित प्रति ➢ खाता खोलने के लिए उपनियमों के अनुसार पार्टी के लेटर हेड पर पार्टी अध्यक्ष/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से प्राधिकृत पत्र, जिसमें राज्य इकाई का पता, खाते का शीर्षक एवं प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए उनके हस्ताक्षर और फोटो के सत्यापन के साथ परिचालन निर्देश का उल्लेख हो। ➢ उप-विधि के अनुसार पार्टी/ कार्य समिति का विधिवत हस्ताक्षरित संकल्प जिसमें पार्टी अध्यक्ष/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, कार्यकाल आदि का विवरण दर्शाया गया हो। ➢ राजनीतिक दल का पैन ➢ लाभार्थी स्वामी, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या मुख्तारनामा धारक के ओवीडी और पैन/फॉर्म 60

<u>List of Valid KYC Documents or *equivalent e-document* for Account Opening</u>

A)	**INDIVIDUAL (Note :** All Category of Individuals including NRI/OCI/PIO/Foreign nationals are required to mandatorily submit either PAN or FORM 60)	
1	**Officially Valid Documents (OVDs) for Account of Individuals**	➢ Passport ➢ Driving license with photo ➢ Proof of possession of Aadhaar number ➢ Voter's Identity Card issued by Election Commission of India, ➢ Job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government. ➢ Letter issued by the National Population Register containing details of Name and Address.
2	**Deemed Officially Valid Documents, In case OVD does not contains updated / current address. (At least one document)**	➢ Utility bill of any service provider i.e. electricity, telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill (not more than two months old) ➢ Property or Municipal Tax receipt; ➢ Pension or family pension payment orders (PPOs) issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, If they contain the address; ➢ Letter of allotment of accommodation from employer issued by State or Central Government departments, statutory or regulatory bodies, and public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies. Similarly, leave and license agreements with such employers allotting official accommodation; ***Note:*** *In case branch is obtaining Deemed OVD for current address proof, the customer shall undertake to submit OVD for current address within -3- months.*
3	**For Joint Account Holders**	Independent Officially Valid Document of each joint account holder as described above.
4	**In case of Foreign Students**	➢ Copy of Passport and copy of Visa. ➢ An Identity Card issued by college / institution. ➢ An admission letter for the course mentioning duration of course for which he/she is admitted by the Institute / College. ➢ An allotment letter on letter head of the institution/college for allotment of hostel accommodation duly singed by the authorized signatory, mentioning detailed address and location of hostel, room no. etc. and date of allotment of hostel accommodation etc. or a valid address proof giving local address in form of Lease/Rent agreement within 30 days of opening of the account.

<table>
<tr><td>5</td><td>For Non-Resident Indian (NRI)</td><td colspan="2" rowspan="2">OFFICIAL VALID DOCUMENTS (OVDs) FOR CURRENT ADDRESS (Any One)
i. Passport
ii. Driving License
iii. Proof of possession of Aadhaar number
iv. Voters ID Card issued by Election Commission of India
v. Job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government
vi. Letter issued by the National Population Register containing details of name and address
In addition to above, following documents establishing Overseas address should be submitted ;
OVERSEAS PROOF OF ADDRESS (Any One)
i. Passport
ii. Driving License
iii. Government issued National ID having address at country of Residence
iv. Utility Bill (Electricity, Water, Gas, Telephone, Post-paid Mobile) - Not more than 2 months old
v. Registered Tenancy / Rent / Lease Agreement
vi. Property or Municipal Tax Receipt
vii. Letter of allotment of accommodation from employer issued by State Government or Central Government Departments, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies and leave and licence agreements with such employers allotting official accommodation;
viii. Original latest overseas bank account statement carrying overseas address - Not more than 2 months old
ix. Employer’s Certificate confirming overseas address.
x. Address proof of the blood relative as per point i) to ix) above (spouse, father mother, sister, brother and child) with whom NRI is staying along with supporting proof of relationship(Passport, PAN card, Driving license, Voters Identity Card, Aadhaar card, Marriage Certificate, Birth Certificate) along with declaration from customers relative.
xi. Letter/ Certificate/ ID issued by foreign college/ University.
In case of OVDs presented by OCI/PIO does not contain details of Address, in such cases letter issued by foreign embassy / mission in India or OCI / PIO Card having overseas address may be accepted along with OVDs.
Further copy of suitable documents to ascertain the status of NRI/PIO/OCI be provided.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>For PIO/OCI</td></tr>
<tr><td>7</td><td>For Foreign Nationals/ Tourist</td><td>➢ Valid Passport
➢ Valid Indian Visa</td><td>(i) Overseas Address proof (Any One)
➢ Passport
➢ Driving License□
➢ Documents issued by Govt. Deptt. of foreign jurisdictions i.e. National Identification Card, Green Card and Social Security Card etc. having Name and overseas Address of the Applicant <u>(In case OVD does not contain detail of overseas address)</u>
(ii) Current Address proof (Any One)
➢ OVD or Deemed OVD (As per Point No. 1 & 2 above)</td></tr>
</table>

			➢ Letter Issued by Foreign Embassies or Mission in India having Name and current Address. ➢ FRRO Certificate having name and current address

B) NON-INDIVIDUAL		
1	**Accounts of Companies**	➢ Certificate of Incorporation ➢ Memorandum & Articles of Association. ➢ PAN No. of the Company ➢ Resolution of the Board of Directors and Power of Attorney granted to its managers, officers or employees to transact on its behalf; ➢ The names of the relevant persons holding senior management position ➢ The registered office and the principal place of its business, if it is different; and ➢ Any of OVD and PAN/FORM60 in respect of Beneficial Owner (BO), the managers, officers or employees holding an attorney to transact on its behalf with his / her photograph
2	**Accounts of Sole Proprietary firms.**	**(Any two of the following documents be provided)** ➢ Registration certificate including Udyam Registration Certificate (URC) issued by Government. ➢ Certificate/ license issued by the municipal authorities under Shop and Establishment Act. ➢ Sales and income tax returns. ➢ CST/ VAT/ GST certificate. ➢ Certificate/ Registration document issued by Sales Tax/ Service Tax/ Professional Tax authorities. ➢ IEC (Importer Exporter Code) issued to the proprietary concern by the office of DGFT or License / certificate of practice issued in the name of the proprietary concern by any professional body incorporated under a statute. ➢ Complete Income Tax Return (not just the acknowledgement) in the name of the sole proprietor where the firm's income is reflected, duly authenticated/acknowledged by the Income Tax authorities. ➢ Utility bills such as electricity, water, and landline telephone bills not older than two months. **AND** Any one OVD and PAN / FORM60 of the proprietor.
3	**Accounts of Partnership firms. (Registered)**	➢ Registration certificate, ➢ Partnership deed; and ➢ PAN No. of the Firm, ➢ The names of all partners ➢ Address of the registered office, and the principal place of its business, if it is different; and ➢ Any of OVD and PAN / FORM60 in respect of Beneficial Owner (BO), the managers, officers or employees holding an attorney to transact on its behalf with his / her photograph

4	**Accounts of Trusts** **&** **Foundations.**	➢ Registration Certificate ➢ Trust Deed; ➢ Resolution of Board of Trustees ➢ PAN / Form 60 of Trust ➢ Registration under Section 12AB of Income Tax Act, if applicable. ➢ The names of the beneficiaries, trustees, settlor, protector, if any and authors of the trust ➢ The address of the registered office of the trust ➢ List of trustees and documents viz. any one OVD and PAN/Form 60, for those discharging the role as trustee and authorized to transact on behalf of the trust. ➢ Any of OVD and PAN/FORM60 in respect of Beneficial Owner, Trustees, settlers, beneficiaries and persons holding Power of Attorney, Founders/Managers Directors/Signatories with his/her photograph.
5	**Accounts of Unincorporated Associations (Including Unregistered Trust/partnership firm) or body of individuals (Including Society/Clubs/SHG)**	➢ Resolution of the Managing body of such association or body of individuals; ➢ PAN / Form 60 ➢ Bye Laws ➢ Power of Attorney granted to transact on its behalf; ➢ Any of OVD and PAN/FORM60 in respect of Beneficial Owner, Office bearers / Signatories and persons holding Power of Attorney to transact on its behalf with his/her photograph. ➢ Any one of the below mentioned list of documents to collectively establish the legal existence of such an associations or body of individuals. *i.* Partnership Deed/ Trust Deed (mandatory in case of registered partnership & registered trust) *ii.* Certificate/ license issued by the municipal authorities under Shop & Establishment Act, *iii.* Sales Tax Returns, *iv.* CST / VAT/ GST certificates (provisional/final) *v.* Certificate / registration document issued by Sales Tax / Service Tax / Professional Tax authorities. *vi.* IEC (Importer Exporter Code) issued by the office of DGFT/ License/ certificate of practice issued in the name of the concern by any professional body incorporated under a statute. *vii.* Complete Income Tax return (not just the acknowledgement) in the name of concern where the income is reflected, duly authenticated/ Acknowledged by the Income Tax Authorities. *viii.* Any other registration certificate issued by state/ central government departments. *ix.* Utility bill such as electricity, water and landline telephone bill in the name of the concern.
6	**Accounts of Hindu** **Undivided Family**	➢ PAN Card in the name of HUF. ➢ Declaration from the Karta. ➢ Any One of the Official valid document (OVD) and PAN / FORM60 of the Karta / Authorized Signatories with his / her photographs. ➢ HUF Letter / Declaration signed by all the coparcener and Karta

7	**Accounts of the Government or its Departments, societies, universities and local bodies like village panchayats etc.**	➢ Document showing name of the person authorized to act on behalf of the Government or its Departments, societies, universities and local bodies like village panchayats; ➢ Any Officially valid documents (OVD) and PAN/Form 60 in respect of the person holding an attorney to transact on its behalf and ➢ Proceedings/ letter from competent authority of the Government Dept. to open Bank account containing Title of the Account and Operating Instructions to establish the legal existence of such an entity/ juridical person. ➢ Authorization letter from Government Department in case of Opening of Savings Bank Account, if Applicable. ➢ Latest Society Act Certificate, in case of societies ➢ Copy of return filed with Registrar of society / Trust
8	**Account of Political Parties**	➢ Duly authenticated copy of Constitution/ Bye laws of the Party ➢ Duly authenticated copy of Registration of Party with election commission ➢ Authority letter, on party letter head, from Party president/ Authorized signatory as per Bye-laws for opening of account mentioning address of the State Unit, Title of Account and operating instructions for authorized signatory with attestation of their signature and photograph. ➢ Duly signed resolution of the Party/ working committee as per bye- laws indicating details of the party president/ authorized signatory, tenure etc. ➢ PAN of Political Party ➢ OVDs and PAN/FORM 60 of beneficial owner, authorized signatory or power of attorney holder.